न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**

आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैक लिमिटेड (पूर्व नाम एयू फाईनेन्सर्स (इण्डिया लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए घुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर 342001 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रदीप बोहरा		1.गोमाराम पुत्र श्री रंगनाथ पता 57 ग्राम जावीया, तहसील भीनमाल, जिला जालोर द्वितीय पता:- गोमाराम, विरकाराम एवं दरजाराम पट्टा नंबर 52, संकल्प नंबर 1, ग्राम जावीया ग्राम पंचायत राजीकाबास जसंवतपुरा जिला जालोर 2.श्रीमती बादली देवी पत्नि श्री गोमाराम पता 57 ग्राम जावीया तहसील भीनमाल जिला जालोर 3.विरकाराम पुत्र श्री रंगनाथराम पता 57 ग्राम जावीया, तहसील भीनमाल, जिला जालोर 4.दरजाराम पुत्र श्री रंगनाथराम पता 57 ग्राम जावीया, तहसील भीनमाल, जिला जालोर 5.जेताराम पुत्र श्री लालाराम देवासी पता 23 रेबारीयो की ढाणी, ग्राम पहाडपुरा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

विविध प्रकरण संख्या **20 /2019**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

....

अधिवक्ता:-

1-श्री चन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:-31.07.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैक की ओर से प्रार्थना-पत्र में लिखा गया कि एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू.फाईनेन्सर्स (इंडिया लिमिटेड) के नाम से जाना जाता था) जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में लघु वित्त बैक का कारोबार करने के लिये लाईसेन्स प्राप्त है। जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर 342001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रदीप बोहरा है। वह रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो से भी परिचित है। उनको प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनैन्स बैक लिमिटेड कार्यालय की और से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हे प्रार्थना पत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्थान से ऋण के लिए आवेदन करने पर प्रार्थी बैक द्वारा दिनांक 30.11.2013 जरिये सेक्शन लेटर विपक्षीगण को कुल 4,00,000/अक्षरे चार लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस पर निर्मित ढांचा आदि को प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया।जिसका विवरण नीचे वर्णित है।बंधक सम्पति का विवरण:- गोमाराम, विरकाराम एवं दरजाराम पट्टा नंबर 52 संकल्प नंबर 01 ग्राम जावीया ग्राम पंचायत राजीका बास जसवंतपुरा जिला जालोर बमाप 2100 वर्गफुट है।उत्तर में:-पदमाराम पुत्र रावताराम देवासी का मकान, दक्षिण में:-वीरमाराम पुत्र बाबराजी देवासी का मकान, पूर्व में:-पहाड, पश्चिम में:-रोड़। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान में व्यतिकम व अतिदेय होने पर दिनांक 31.12.2017 को उक्त

ऋण खाते का अक्रियान्वित आस्ति (Non perforance Asset) में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 3,56,528/रूपये दिनांक 03.12.2018 तक शेष देय है। प्रार्थी द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 04.012.2018 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्हे देय राशि का भुगतान प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैक लिमिटेड को नहीं दिया। नोटिस मय पोस्टल रसीदें प्राप्ति स्वीकृति की प्रति संलग्न है।उक्त सूचनाओ की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नही किया।विपक्षीगण द्वारा न तो अदायगी की गई एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की ।अप्रार्थीगण ने धारा 13(2)के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैक को नही किया है।इस उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैक उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्यूरिटी दृष्टिबंधक सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी

उक्त सम्पति का कब्जा अप्रार्थी सें प्राप्त कर प्रार्थी बैक ऑफ इण्डिया को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे ।

पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से 4,00,000/- अक्षरे चार लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13(2) के तहत् 04.12.2018 को समस्त अप्रार्थीगण को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनो में 3,56,528/-(अक्षरे रूपये तीन लाख छप्पन हजार पांच सौ अठाईस रूपये मात्र) जिसमें दिनांक 03.12.2018 तक का ब्याज सम्मिलित हैं, जमा कराने हेतु सूचित किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के बावजुद बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चूक की है।

वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:-(1) **प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये,लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा,ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा।**

(2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक,जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपतियो, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जसवंतपुरा को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.04 11:04:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: